



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जाय
15/12 	<p> आजी प्रार्थी उक्त आजी प्रार्थी से क्या सुनी। मिर्जा अरिशा सुनना गयकी सिर्फ इस प्रकार है - उक्त सुनना उक्त आदेश का पुरानी खातेदार है बिना कौन से अपमानी खातेदार है बिना आदेश स्वयं के हिसते की पत्तगदी कानना चाला है जकि काना वातवानी दर्ज है, तबसमा नही हुआ है आदेश द्वारा उक्त बखानेदार को प्राप्ति पाया गया गया की कानवानी नियमना जमकी के दर्ज सुनी खातेदार की तबसमा पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः सुनी खातेदार प्रार्थी आदेश पक्षमा नही लेने के कारण प्रार्थना पत्र खातेदार उक्त जाहा की पखानी फेमल कुमार उक्त नम्बर से कान की वाकित दफ्तार है। मिर्जा सुनी न्यायालय से सुनना गया।  उपखण्ड अधिकारी देवली (तोंक) </p>	